



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

संजय भा. गवई  
Sanjay B. Gawai  
कुलसचिव  
Registrar

फैक्स/Fax +91 -7152-230903  
मो. नं./Mob 09422855988


पत्रांक : 019/2009-10/Syll./09/2009/181  
दिनांक : 08/03/2013

### अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 1-1/2005-U.I.A.847 दिनांक 20-4-2013 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एम. ए. की 20 सीटों को बढ़ाकर क्रमशः 24 तथा 28 किया गया था तथा एम.फिल. की सीटों को 10 से बढ़ाकर क्रमशः 12 तथा 14 किया गया था। इसे निम्नानुसार पुनर्निधारित किया जाता है:-


1. एम.ए. पाठ्यक्रम- कुल सीट 30 (सामान्य 15, अ.पि.व. 08, अ.जा. 05 तथा अ.जजा. 02)
2. एम. फिल. पाठ्यक्रम- कुल सीट 15 (सामान्य 08, अ.पि.व. 04, अ.जा. 02 तथा अ.जजा. 01)

सीटों के उपर्युक्त पुनर्निधारण को विद्या-परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी किया जाता है।

  
(कुलसचिव)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त विभाग/केंद्र
4. परीक्षा विभाग
5. हिंदी अधिकारी- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
12/3/13